

बजट: 2021-22

तालिका 1: बजट एक नजर में

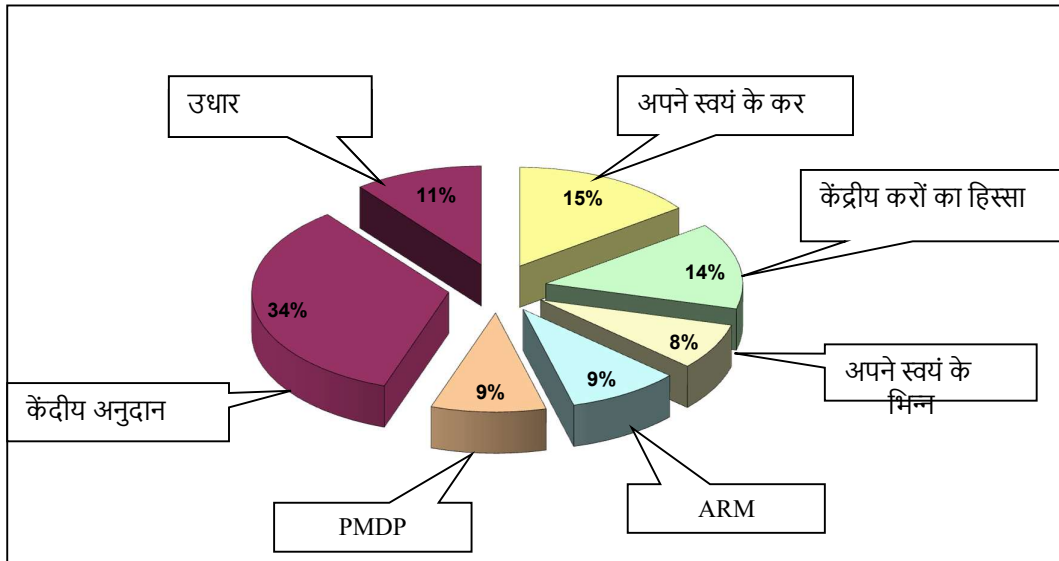
(करोड़ रु. में)

	मद	2019-20 (पूर्व-वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (संशोधित अनुमान)	2021-22 (बजट अनुमान)
क.	राजस्व प्राप्तियां	52618	91100	75903	97141
ख.	राजस्व व्यय	52964	62664	62486	68804
	राजस्व अधिशेष (क-ख)	-346	28436	13417	28337
ग.	पूंजी प्राप्तियां	12411	10328	16438	11480
घ.	पूंजी व्यय	12065	38764	29855	39817
	पूंजीगत क/ग घाटा (ग-घ)	346	-28436	-13417	-28337
ड.	कुल व्यय	65029	101428	92341	108621
च.	कुल प्राप्तियां	65029	101428	92341	108621
छ.	राजकोषीय घाटा	10679	10240	15710	10647
ज.	गैर-वित्तोषित /अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन	0	0	0	0

'-' चिह्न घाटे को दर्शाता है

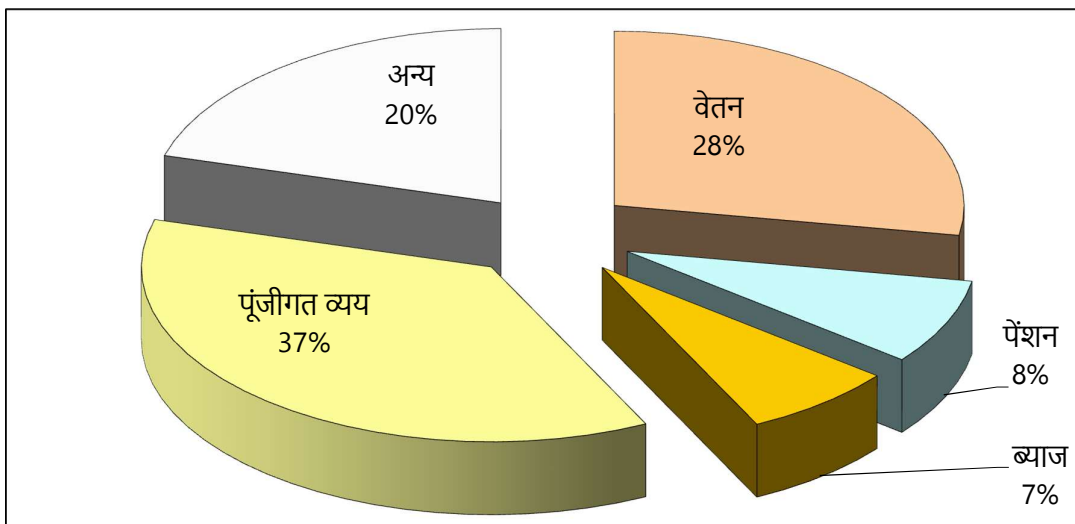
रु. : जहां से आता है। (2021-22)

ग्राफ : 1



रु. : जहां जाता है। (2021-22)

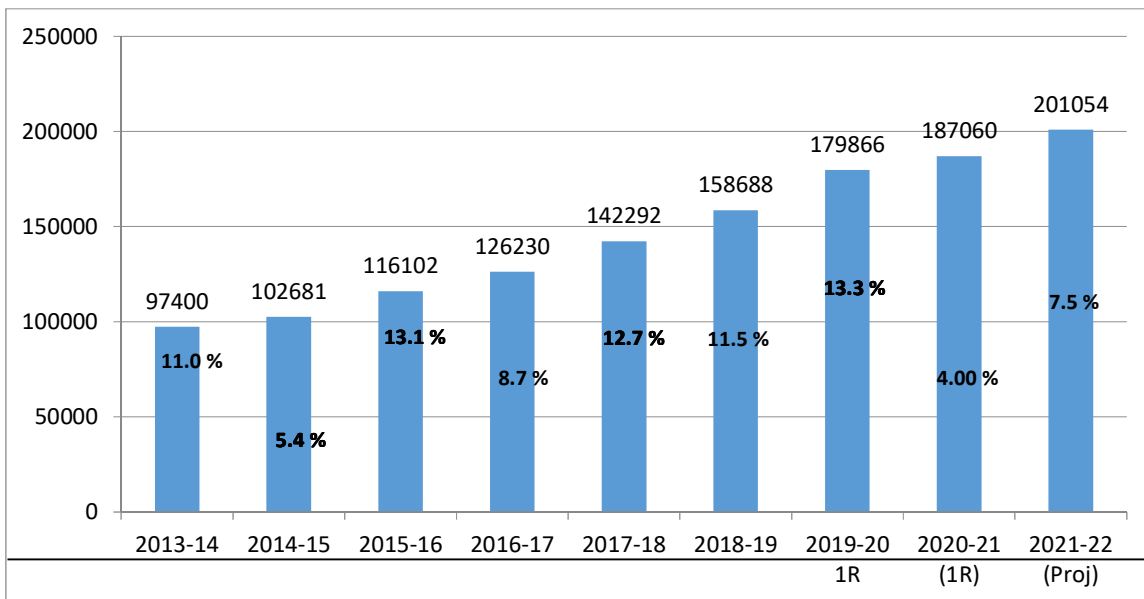
ग्राफ : 2



आर्थिक विकास मौजूदा मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद

ग्राफ : 3

(करोड़ रु. में)



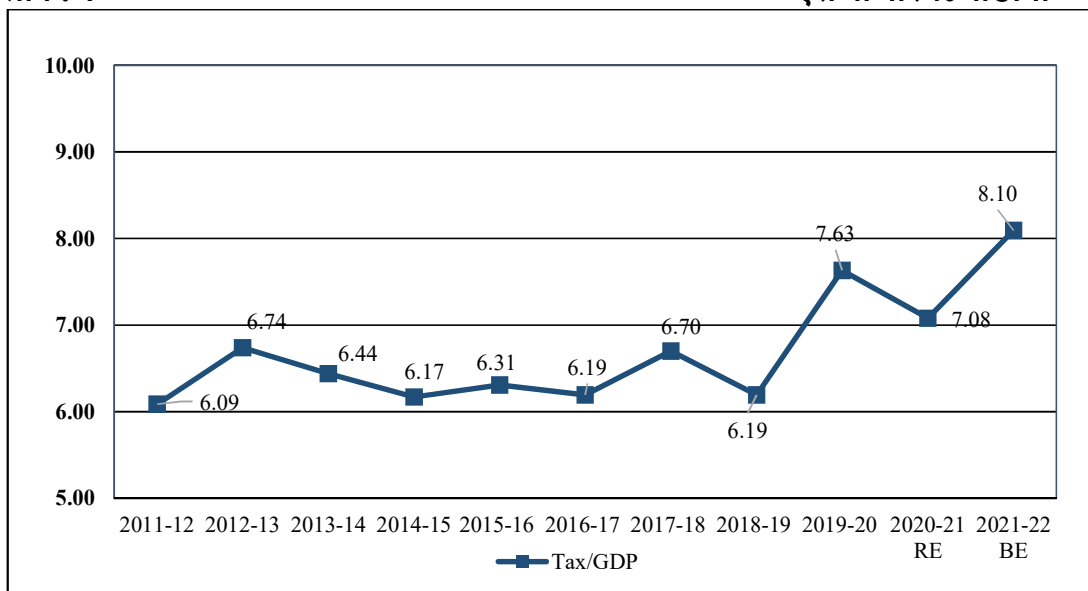
(कोष्ठकों में वृद्धि के % की गणना आधार वर्ष 2011-12 पर की गई है)

1आर = 1st रिवाइज्ड एस्टिमेटस ; 2आर = 2nd रिवाइज्ड एस्टिमेटस; एई = एडवांस एस्टिमेटस; प्रोज. = प्रोजेक्टेड

कर और राजस्व –करभार और कुशलता

ग्राफ: 4

एसओआर %जीडीपी



तालिका-2 बजट : आधारभूत विवरण

(करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 (पूर्व-वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (संशोधित अनुमान)	2021-22 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां (i+ii+iii+iv+v)	52618	91100	75903	97141
i. स्वयं का कर राजस्व	9467	13241	10837	16276
ii. कर-भिन्न राजस्व	4259	4065	6193	8209
iii. केंद्रीय करों का हिस्सा	6802	0	0	0
iv. केंद्र से प्राप्त संसाधन	32090	69794	55273	62656
v. अतिरिक्त संसाधन जुटाना (एमआरएम)	0	4000	3600	10000
कुल राजस्व व्यय	52964	62664	62486	68804
ब्याज का भुगतान	5927	6891	6790	7692
सीएसएस	1262	3009	3277	3389
कुल पूंजी प्राप्तियां	12411	10328	16438	11480
i. उधार	8718	7917	14330	9214
ii. भविष्य निधि की अन्य देयताएं (निवल)	1961	2323	1380	1433
iii. विविध, ऋण भिन्न सृजन	1728	83	723	828
iv. ऋण और अग्रिम की वसूली	4	5	5	5
कुल पूंजी व्यय	12065	38764	29855	39817
i. पूंजी व्यय	8718	28565	19762	24481
जिसमें से अदायगियां	2067	4248	4258	4226
ii. . सीएसएस	3347	10199	10093	15336
कुल व्यय	65029	101428	92341	108621
i. राजस्व व्यय	52964	62664	62486	68804
ii. पूंजी व्यय	8718	28565	19762	24481
iii. सीएसएस कपेक्स	3347	10199	10093	15336
कुल प्राप्तियां	65029	101428	92341	108621
i. राजस्व प्राप्तियां	52618	91100	75903	97141
ii. पूंजी प्राप्तियां *	12411	10328	16438	11480
राजस्व अधिशेष	-346	28436	13417	28337
गैर वित्त पोषित/अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन	0	0	0	0
कुल व्यय	10679	10240	15710	10647

* ₹ 22211 करोड़ के अग्रिम संसाधन (वेज एंड मिनज अडवांस), संशोधित अनुमान 2020-21 व बजट अनुमान 2021-22 में और आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत संशोधित अनुमान 2020-21 में ₹ 11025 करोड़ की बिजली खरीद दायित्व की निकासी को छोड़कर पूंजी प्राप्ति व व्यय है ।

तालिका- 3: राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 (पूर्व-वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (संशोधित अनुमान)	2021-22 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां (I+II)	52618	91100	75903	97141
I. केंद्र से कुल अनुदान	38892	69794	55273	62656
i. केंद्रीय करों का हिस्सा	6802	0	0	0
ii. केंद्र से प्राप्त संसाधन	32090	69794	55273	62656
II. अपने स्वयं के संसाधन (1+2+3)	13726	21306	20630	34485
1. स्वयं के कर राजस्व	9467	13241	10837	16276
a. जीएसटी	4720	9242	7077	10462
b. बिक्री कर	1662	1500	1210	1650
c. उत्पाद शुल्क एवं पथ कर	2086	1838	1304	1978
d. अन्य	999	661	1246	2186
2. जिसमें से कर भिन्न राजस्व	4259	4065	6193	8209
ब्याज प्राप्तियां	19	2	0	2
विद्युत प्राप्तियां	2890	3000	4500	5500
3. अतिरिक्त संसाधन जुटाना (एआरएम)	-	4000	3600	10000

तालिका 4: राजस्व प्राप्तियां और व्यय : संरचना

(करोड़ रुपए)

	मद	2019-20 (पूर्व-वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (संशोधित अनुमान)	2021-22 (बजट अनुमान)
A.	राजस्व व्यय	52964	62664	62486	68804
	i. ब्याज	5926	6891	6790	7692
	ii. विद्युत खरीद/देयता/सब्सिडी	2716	0	0	5500
	iii. रखरखाव/मरम्मत/सामग्री और आपूर्तियां	784	1387	711	1043
	iv. सहायता अनुदान	5095	6979	6687	4120
	iv. सीएसएस	1262	3009	3277	3389
B.	प्राथमिक राजस्व व्यय	47038	55773	55696	61112
	i. वेतन	23793	30573	28325	30131
	ii. पेंशन	6999	7045	8641	8589
	iii. अन्य	6389	6780	8055	8340

2019-20 के 05 महीनों की बिजली खरीद सहायता अनुदान के 05 महीनों का भाग है।

तालिका 5: राजस्व प्राप्तियां और व्यय : संरचना

(करोड़ रुपए)

मद	2019-20 (पूर्व-वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (संशोधित अनुमान)	2021-22 बजट अनुमान
पूंजी प्राप्तियां	12411	10328	16438	11480
1. परक्राम्य ऋण	844	800	1000	1600
2. बाजार उधार	7874	7117	13330	7614
4. विविध, ऋण भिन्न राशि जुटाना	1728	83	723	828
5. ऋणों और अग्रिमों की वसूली	4	5	5	5
6. भविष्य निधि (निवल)	1961	2323	1380	1433
7. बिजली खरीद दायित्व	0	0	11025	0

* कुल पूंजी प्राप्ति, संशोधित अनुमान 2020-21 में, आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत, वर्ष 2020-21 में ₹11025 करोड़ बिजली की खरीद दायित्व की निकासी करने के लिए उठाए गए ऋण को छोड़कर है।

तालिका 6: पूंजी व्यय

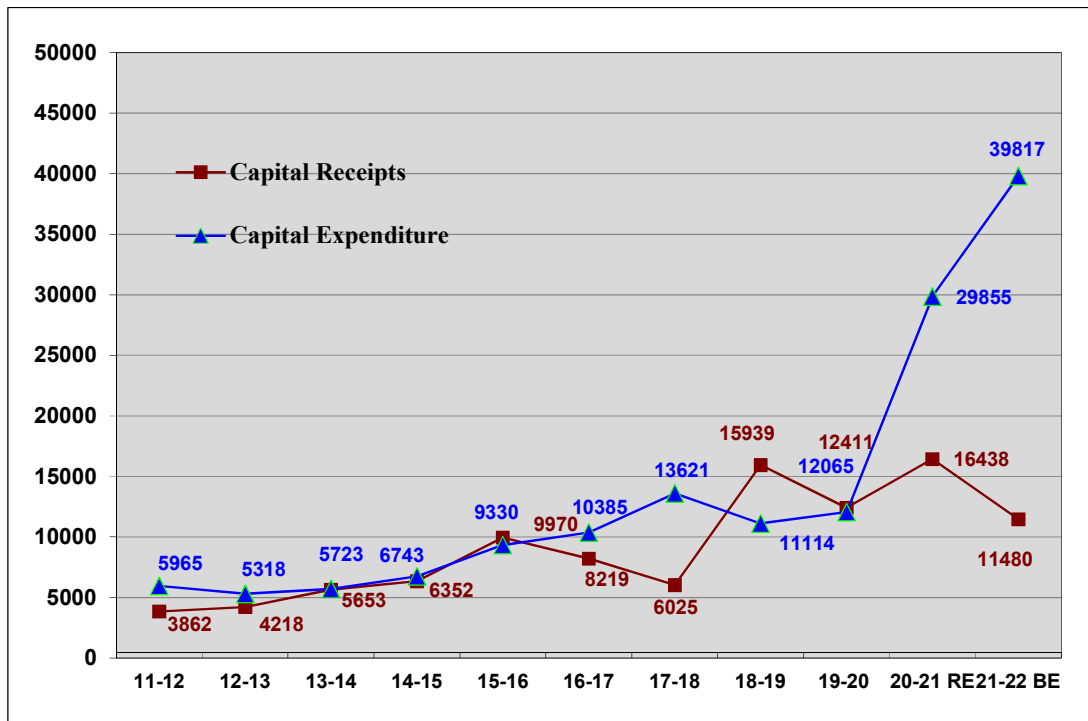
(करोड़ रुपए में)

मद	2019-20 (पूर्व-वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (संशोधित अनुमान)	2021-22 बजट अनुमान
पूंजी व्यय	12065	38764	29855	39817
i. नियमित*	6037	21951	12634	18033
ii. जिला/पीएमडीपी (तामिर) कपैक्स				
iii. ऋण और अग्रिम	54	108	112	109
iv. ऋण की अदायगी	2067	4248	4258	4226
v. इक्विटी और निवेश	560	1010	1510	800
vi. सीएसएस	3347	10199	10093	15336
vii. अन्य#	-	1248	1248	1313
घाटा/पूंजी लेखमय अधिशेष	346	-28436	-13417	-28337

पूंजी प्राप्तियां बनाम पूंजी व्यय

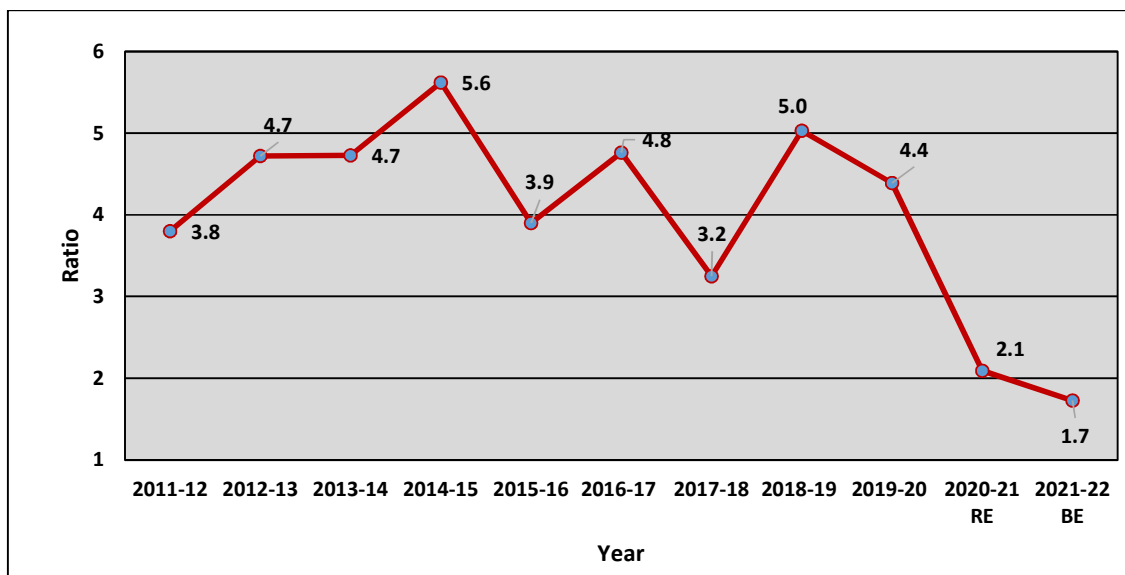
ग्राफ: 5

(करोड़ रुपए में)



केपैक्स के प्रतियूनिट पर राजस्व व्यय

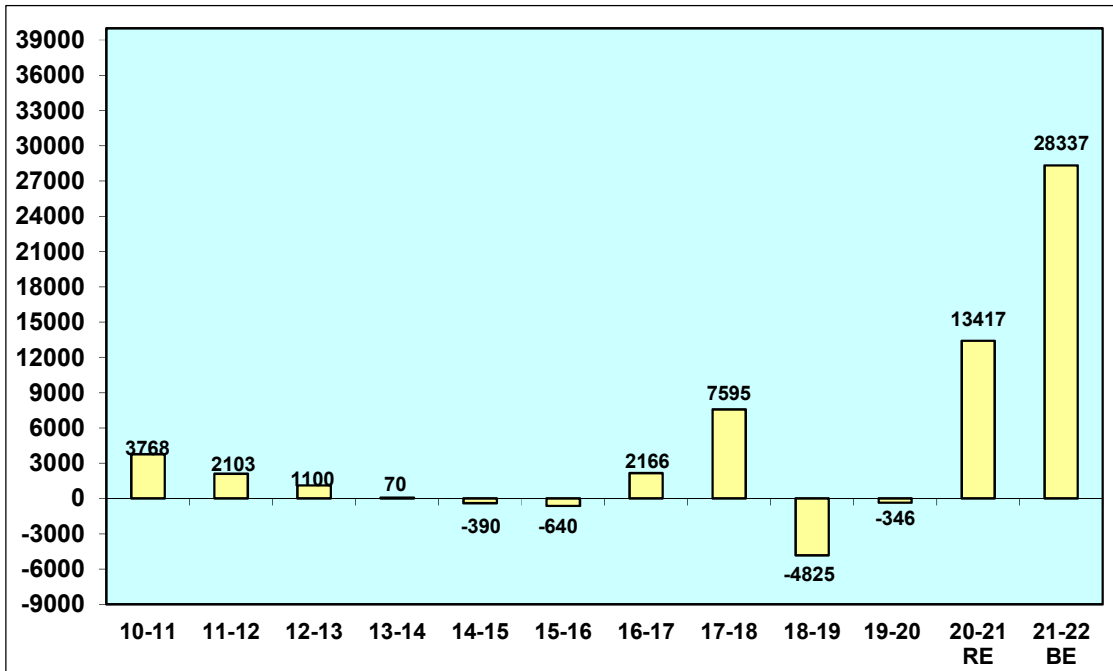
ग्राफ: 6



पूँजी व्यय के लिए उपलब्ध राजस्व अधिशेष

ग्राफ: 7

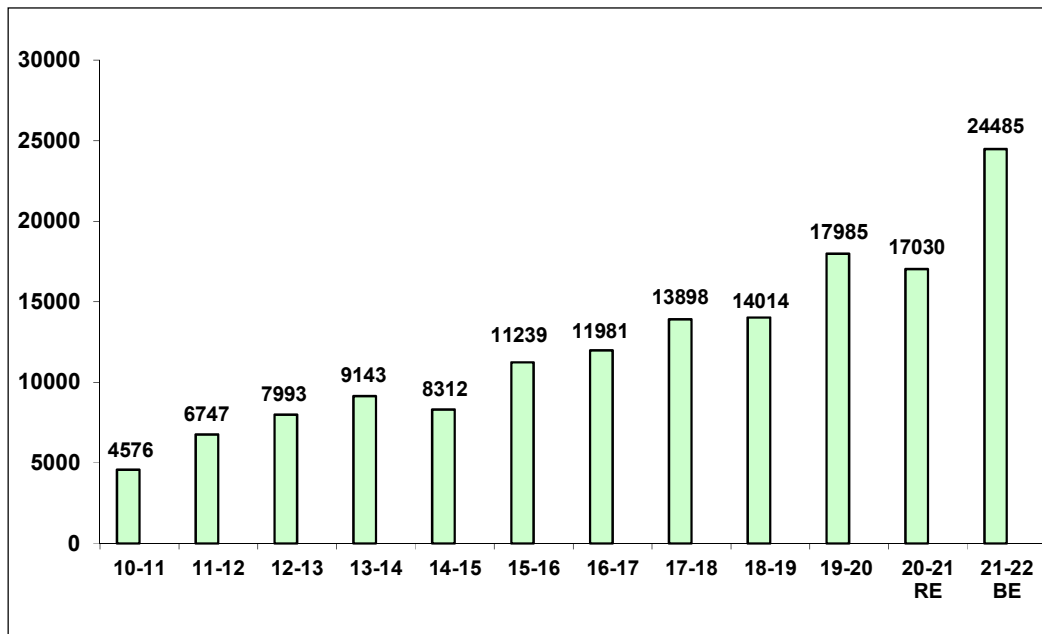
(करोड़ रुपए में)



अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि (कर+कर-भिन्न)

ग्राफ: 8

(करोड़ रुपए में)



**तालिका 7: केंद्र से सांवधिक प्रवाह
(2020-21 और 2021-22)**

(करोड़ रुपए में)

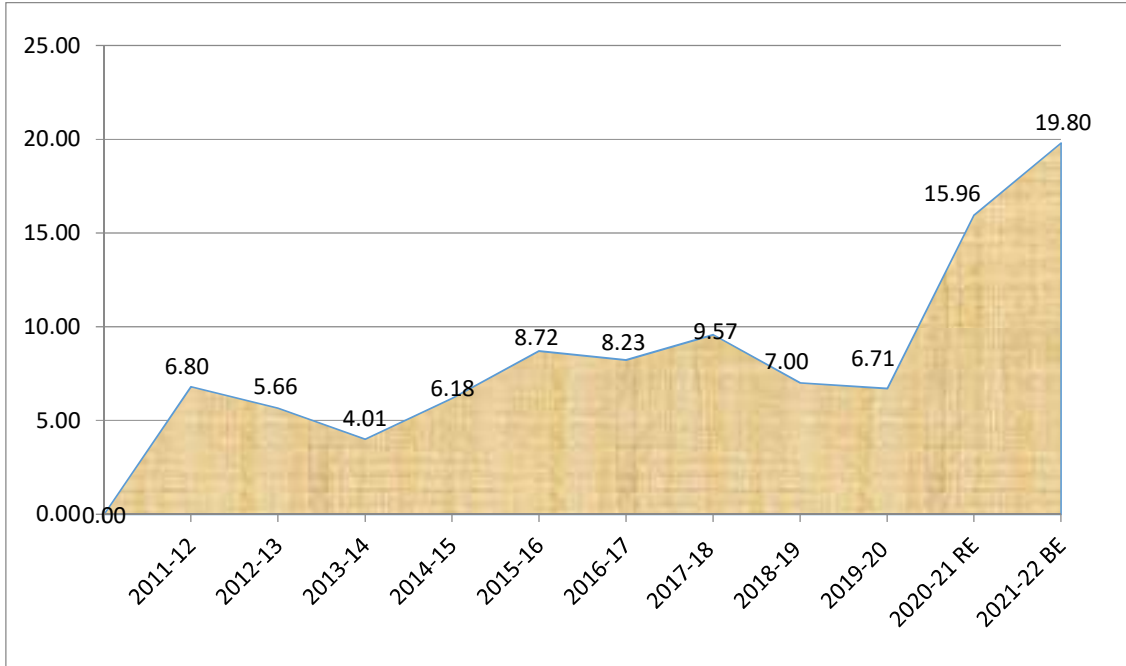
		2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (संशोधित अनुमान)	2021-22 (बजट अनुमान)
(A)	अनुदानों की हकदारी	33695	33079	33689
	i. केंद्रीय करों का हिस्सा	0	0	0
	ii. राजस्व घाटे के लिए अनुदान	29230	29230	29165
	iii. एसडीआरएफ/एनडीआरएफ	279	279	279
	iv. एसआरई	2698	2000	2500
	v. अन्य केंद्रीय योजनाएं	240	322	432
	vi. एफसी अनुदान जिनमें से	1248	1248	1313
	क. पीआरआई	935	935	1000
	ख. यूएलबी	313	313	313
(B)	अन्य अनुदान	36099	22194	28967
	i. प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (टीएएमईआईआर)	10989	8824	10242
	ii. पीएमआईपी	6000	0	0
	iii. सीएसएस	14610	13370	18725
	iv. भत्तों के लिए अनुदान	4500	0	0
	कुल (ए+बी)	69794	55273	62656

* ULB/PRI अनुदान, MHA अनुदान के तहत UT का केंद्रीय सहायता ₹ 30478 करोड़ (A ii + vi) का हिस्सा है

निवेश की दर

ग्राफ: 9

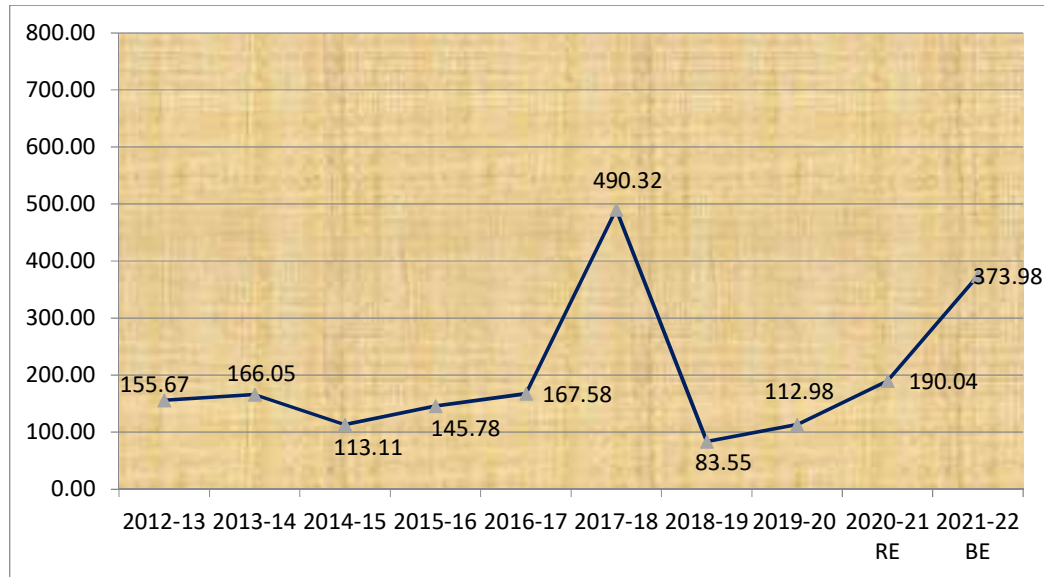
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कैपेक्स



राजकोषीय घाटे का उपयोग

ग्राफ: 10

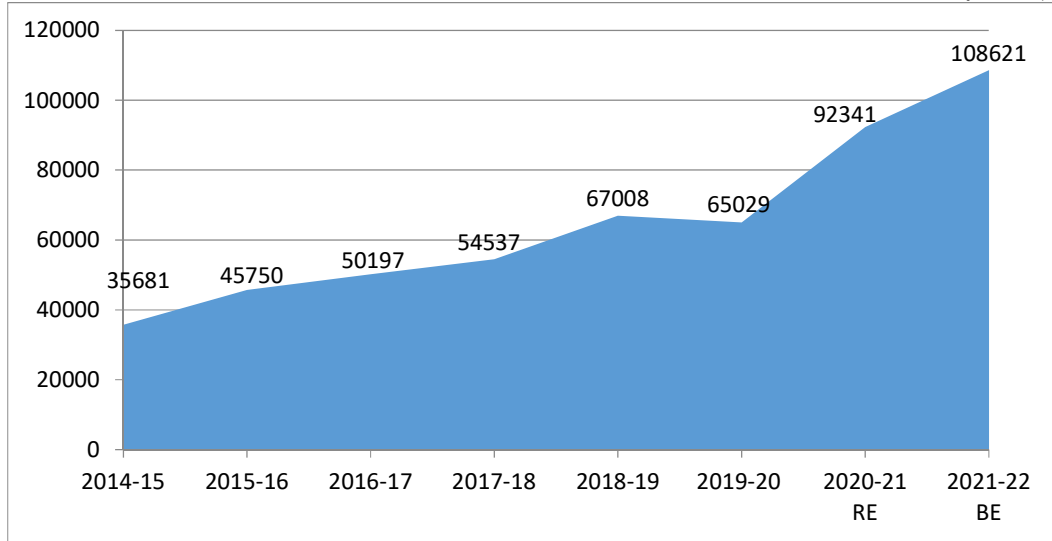
राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में कैपेक्स



व्यय की प्रवृत्ति

ग्राफ: 11

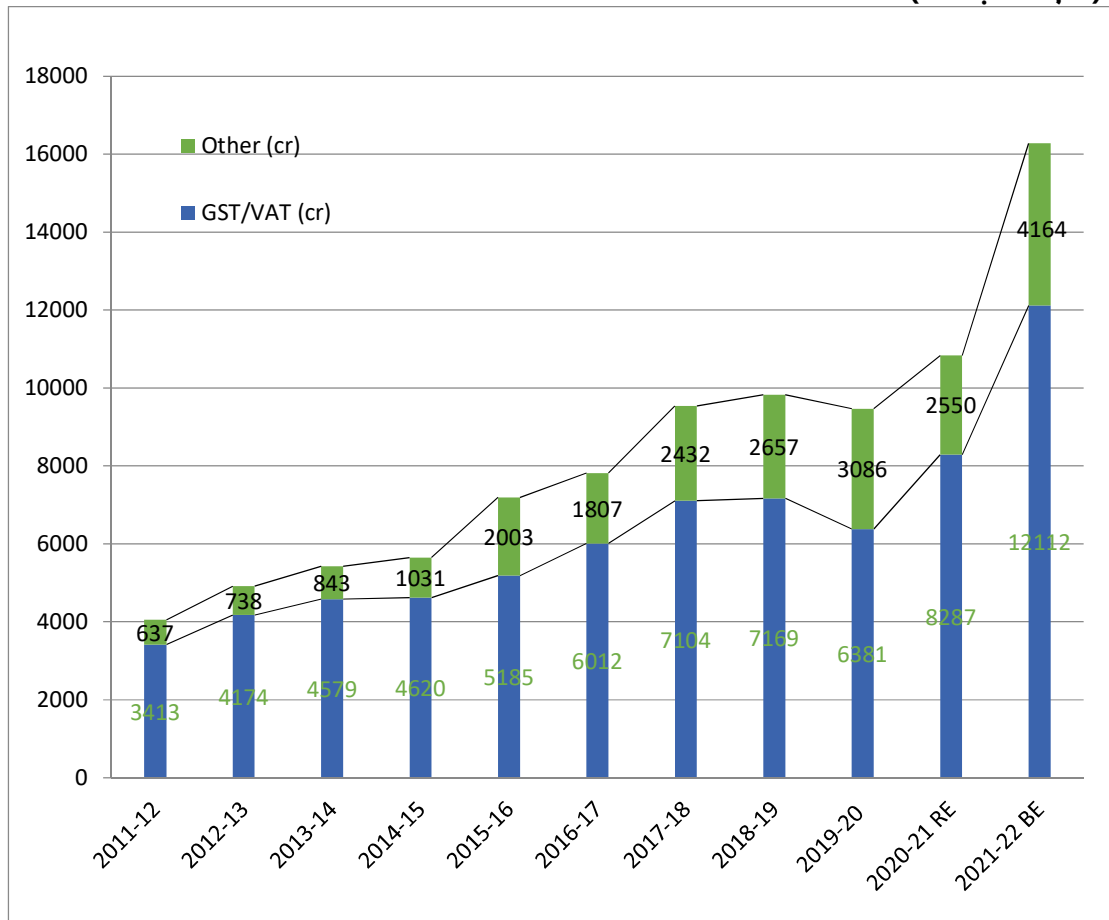
(करोड़ रुपए में)



कर राजस्व : प्रवृत्तियां

ग्राफ : 12

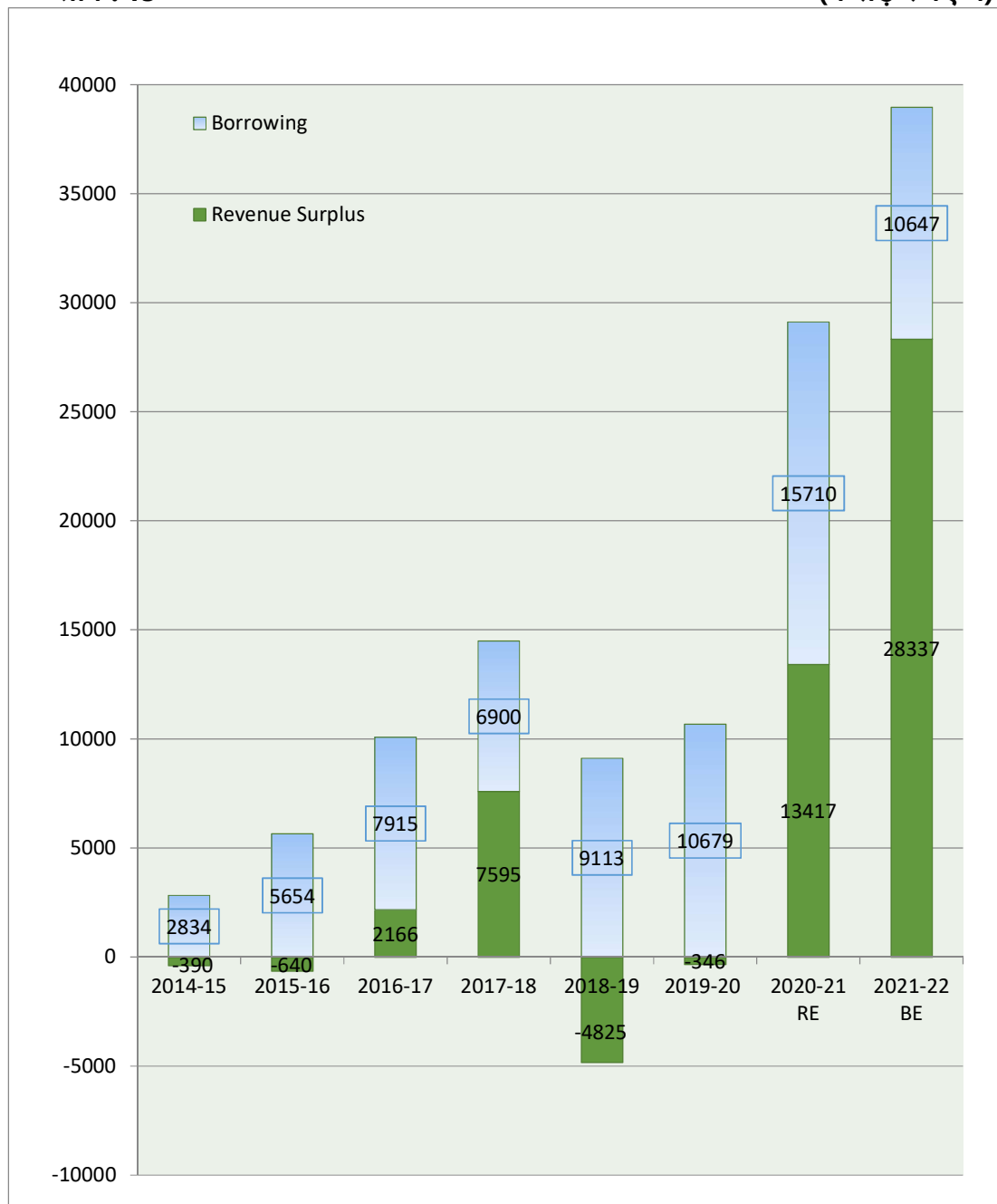
(करोड़ रुपए में)



पूंजी व्यय का वित्तपोषण

ग्राफ: 13

(करोड़ रुपए में)



तालिका 8: सेक्टर-वार राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए में)

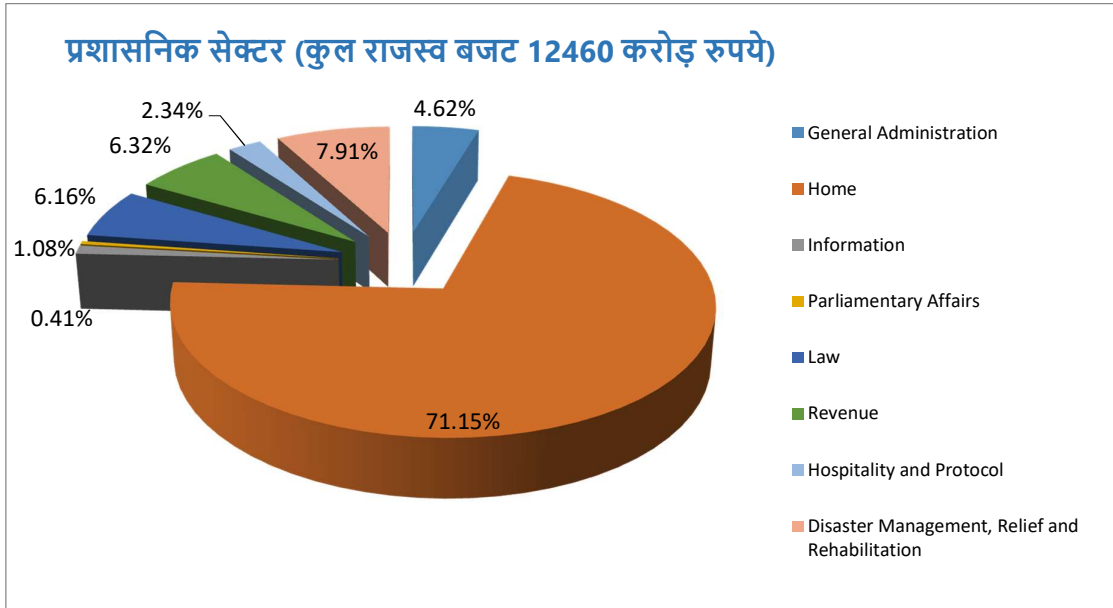
मांग सं.	विभाग	(बजट अनुमान) 2020-21	(संशोधित अनुमान) 2020-21	(बजट अनुमान) 2021-22	% बढ़ना 2020-21 RE से 2021-22 BE तक
01	प्रशासनिक सेक्टर				
01	सामान्य प्रशासन	539.77	493.20	576.49	16.89
02	गृह	8104.07	7939.67	8865.06	11.66
04	सूचना	111.47	105.00	134.36	27.96
09	संसदीय कार्य	54.21	30.68	51.09	66.53
10	विधि	752.11	807.40	767.95	-4.89
14	राजस्व	715.70	650.95	787.92	21.04
24	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	297.36	268.12	291.03	8.54
33	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास	1052.80	1043.84	986.15	-5.53
	कुल प्रशासनिक सेक्टर	11627.49	11338.86	12460.05	9.89
02	सामाजिक सेक्टर				
07	शिक्षा	11126.20	10616.84	11016.32	3.76
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले	313.74	262.76	278.02	5.81
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	4900.70	5216.00	5605.58	7.47
18	सामाजिक कल्याण	2022.69	2406.59	2506.02	4.13
25	स्वच्छता एवं प्रिटिंग/ श्रम एवं रोजगार	130.23	108.80	97.82	-10.09
27	उच्चतर शिक्षा	1440.26	1268.76	1365.24	7.60
30	जनजातीय कार्य	105.42	69.19	104.72	51.35
31	संस्कृति	68.91	59.56	64.42	8.16
34	यूवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	737.88	620.60	652.97	5.22
	कुल सामाजिक सेक्टर	20846.03	20629.10	21691.11	5.15
03	अवसंरचना सेक्टर				
06	विद्युत विकास	3968.98	3767.71	6694.66	77.69
16	लोकनिर्माण कार्य	1106.81	954.85	1266.06	32.59
19	आवास एवं शहरी विकास	1025.87	1026.54	896.73	-12.65
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	909.53	720.73	786.70	9.15
23	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	1888.40	1856.07	1837.53	-1.00
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	18.24	14.27	19.01	33.22
	कुल अवसंरचना सेक्टर	8917.83	8340.17	11500.69	37.90

04	आर्थिक सेक्टर				
11	उद्योग एवं वाणिज्य	467.64	370.56	443.36	19.65
12	कृषि उत्पादन	1386.36	1369.56	1342.66	-1.96
13	पशु/भेड़पालन	728.44	575.71	675.79	17.38
20	पर्यटन	247.51	177.76	252.78	42.20
21	वन	1244.73	1493.71	1534.00	2.70
26	मत्स्य पालन	98.93	99.80	113.75	13.98
28	ग्रामीण विकास	954.68	750.65	714.61	-4.80
29	परिवहन	115.27	126.23	132.68	5.11
32	बागवानी	210.19	166.72	188.79	13.24
36	सहकारिता	87.38	73.22	65.17	-10.99
	कुल आर्थिक सेक्टर	5541.13	5203.92	5463.59	4.99
05	वित्तीय सेक्टर				
03	योजना, विकास एवं मॉनीटरिंग	126.65	123.00	130.54	6.13
08	वित्त	15604.72	16851.00	17558.00	4.20
	कुल वित्तीय सेक्टर	15731.37	16974.00	17688.54	4.21
	कुल मिलाकर	62663.85	62486.05	68803.98	10.11

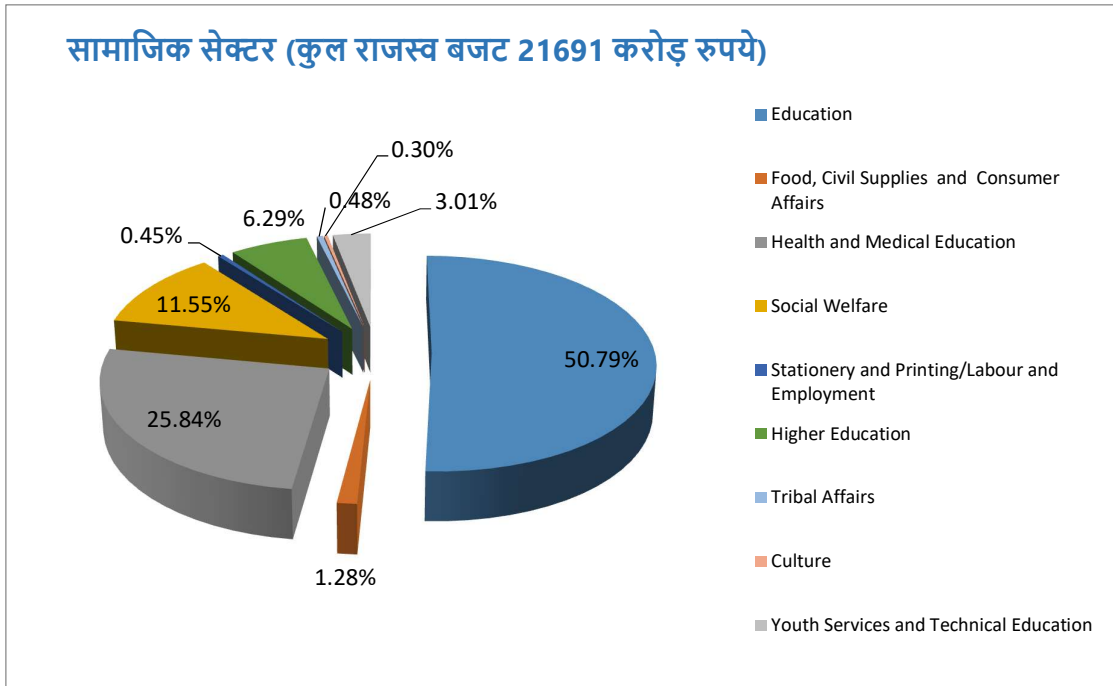
‘-’ चिह्न कमी को दर्शाता है।

सेक्टर-वार राजस्व व्यय

ग्राफ: 14

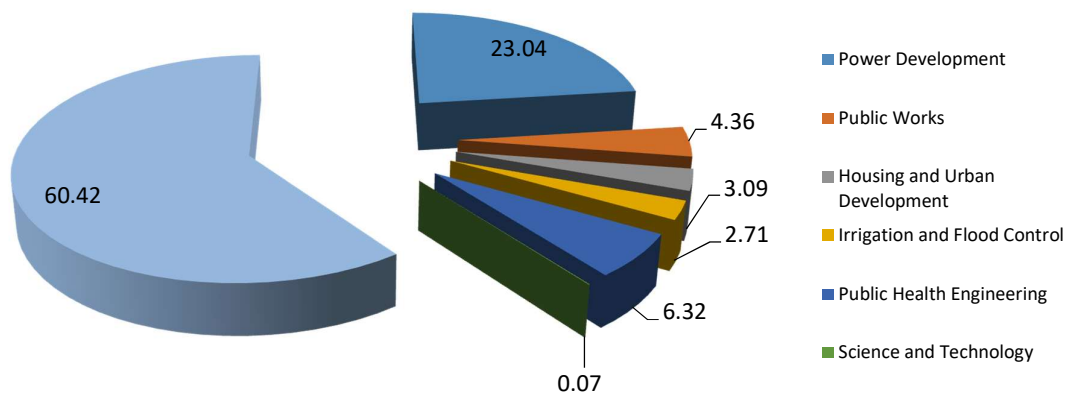


ग्राफ : 15



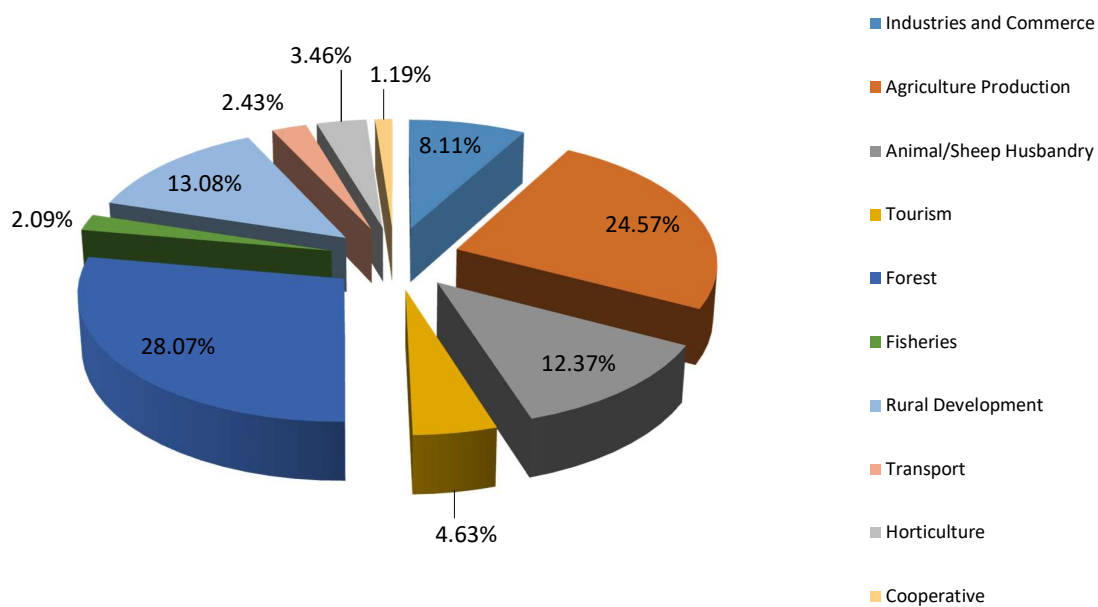
ग्राफ: 16

अवसंरचना सेक्टर (कुल राजस्व बजट 29059 करोड़ रुपये)



ग्राफ: 17

आर्थिक सेक्टर (कुल राजस्व बजट 5464 करोड़ रुपये)



तालिका 9: सेक्टर-वार पूंजी व्यय

(करोड़ रुपए में)

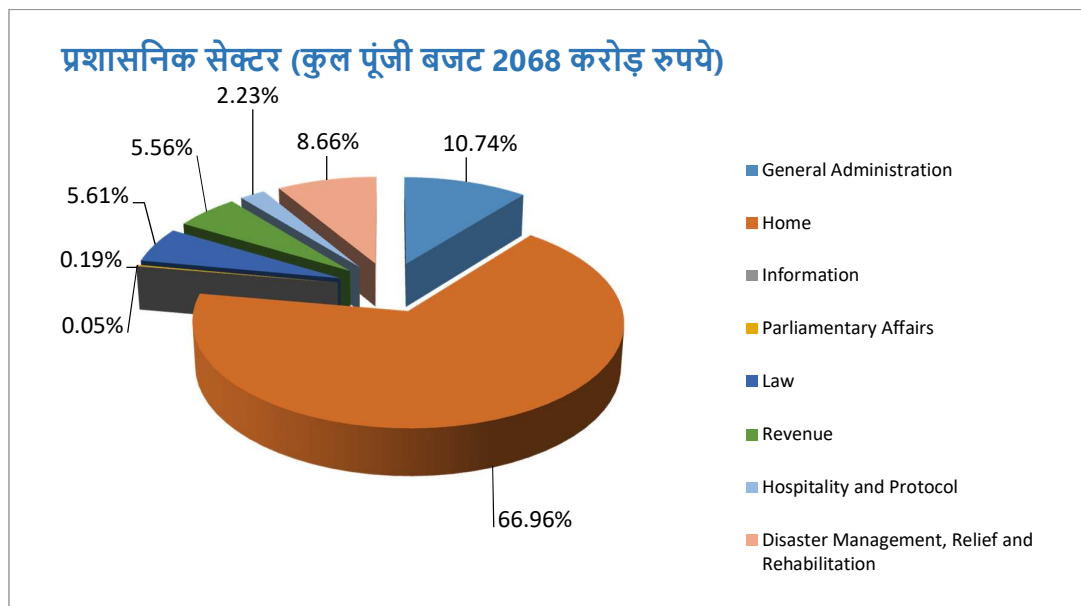
मांग सं.	विभाग	(बजट अनुमान) 2020-21	(संशोधित अनुमान) 2020-21	(बजट अनुमान) 2021-22	% बढ़ना 2020-21 RE से 2021-22 BE तक
01	प्रशासनिक सेक्टर				
01	सामान्य प्रशासन	288.12	223.40	222.47	-0.42
02	गृह	1111.45	950.32	1383.70	45.60
04	सूचना	1.15	0.75	1.15	53.33
09	संसदीय कार्य	8.00	0.00	4.00	
10	विधि	166.75	109.00	116.00	6.42
14	राजस्व	12.45	88.45	114.70	29.68
24	आतिथ्य एवं प्रोटोकॉल	35.00	41.10	46.22	12.46
33	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास	451.57	69.26	179.49	159.15
	कुल प्रशासनिक सेक्टर	2074.49	1482.28	2067.73	39.50
02	सामाजिक सेक्टर				
07	शिक्षा	1030.23	507.85	830.94	63.62
15	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले	412.04	306.93	304.97	-0.64
17	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	1267.63	1455.07	1455.83	0.05
18	सामाजिक कल्याण	293.89	115.23	173.77	50.80
25	स्वच्छता एवं प्रिटिंग/ श्रम एवं रोजगार	58.08	55.08	67.08	21.79
27	उच्चतर शिक्षा	1362.01	841.57	1042.25	23.85
30	जनजातिया कार्य	162.58	173.41	273.43	57.68
31	संस्कृति	129.38	120.07	525.82	337.93
34	यूवा सेवाएं एवं तकनीकी शिक्षा	252.66	240.56	245.77	2.17
	कुल सामाजिक सेक्टर	4968.50	3815.77	4919.86	28.93
03	अवसंरचना सेक्टर				
06	विद्युत विकास	3522.9	2608.65	2727.76	4.57
16	लोकनिर्माण कार्य	2968.11	3621.66	4088.87	12.90
19	आवास एवं शहरी विकास	2052.66	1277.58	2709.99	112.12
22	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1559.83	831.97	1410.84	69.58
23	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग	704.72	1243.76	6346.46	410.26
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	148.49	101.39	105.91	4.46
	कुल अवसंरचना सेक्टर	10956.71	9685.01	17389.83	79.55

04	आर्थिक सेक्टर				
11	उद्योग एवं वाणिज्य	494.25	357.02	648.36	81.60
12	कृषि उत्पादन	1292.1	961.87	1607.86	67.16
13	पशु/भेड़पालन	368.97	191.04	235.92	23.49
20	पर्यटन	576.62	157.04	260.05	65.59
21	वन	1060.72	214.61	218.24	1.69
26	मत्स्य पालन	91.99	111.11	102.11	-8.10
28	ग्रामीण विकास	5284.09	4474.76	4816.70	7.64
29	परिवहन	188.00	166.45	163.00	-2.07
32	बागवानी	580.20	350.89	400.09	14.02
36	सहकारिता	15.00	15.00	15.00	0.00
	कुल आर्थिक सेक्टर	9951.94	6999.79	8467.33	20.97
05	वित्तीय सेक्टर				
03	योजना, विकास एवं मॉनीटरिंग	1364.97	1397.97	1017.00	-27.25
08	वित्त	9447.50	6474.07	5955.70	-8.01
	कुल वित्तीय सेक्टर	10812.47	7872.04	6972.70	-11.42
	कुल मिलाकर	38764.11	29854.89	39817.45	33.37

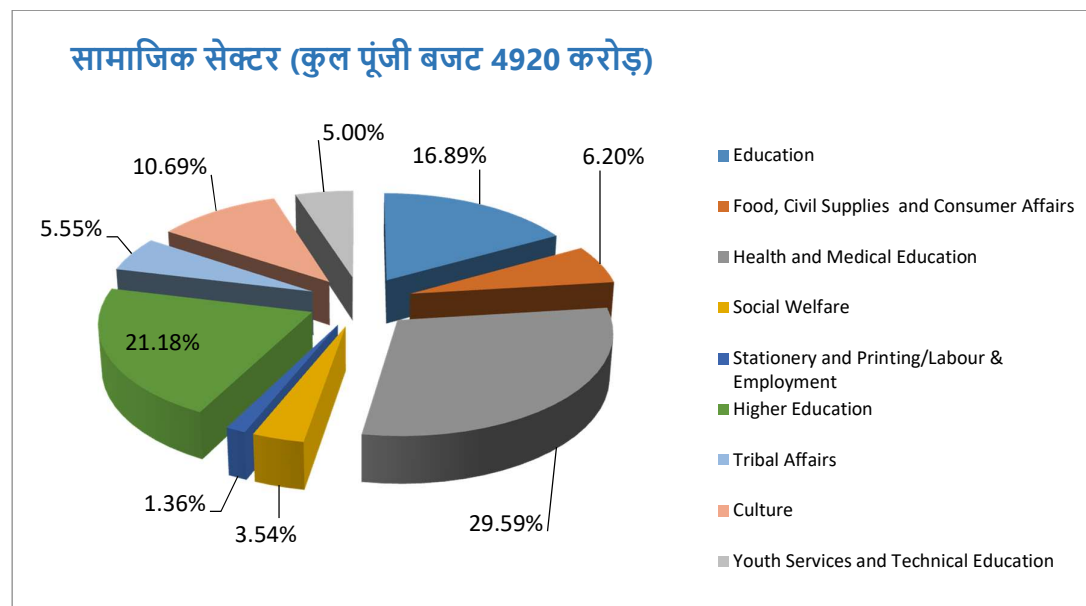
* बिजली विभाग का पुंजी व्यय, संशोधित अनुमान 2020-21 में आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ₹11025 करोड़ की बिजली खरीद दायित्व की निकासी निकाल कर है । संशोधित अनुमान 2020-21 में कुल पुंजी व्यय ₹11025 करोड़ निकाल कर है ।

सेक्टर-वार पूंजी व्यय

ग्राफ: 18

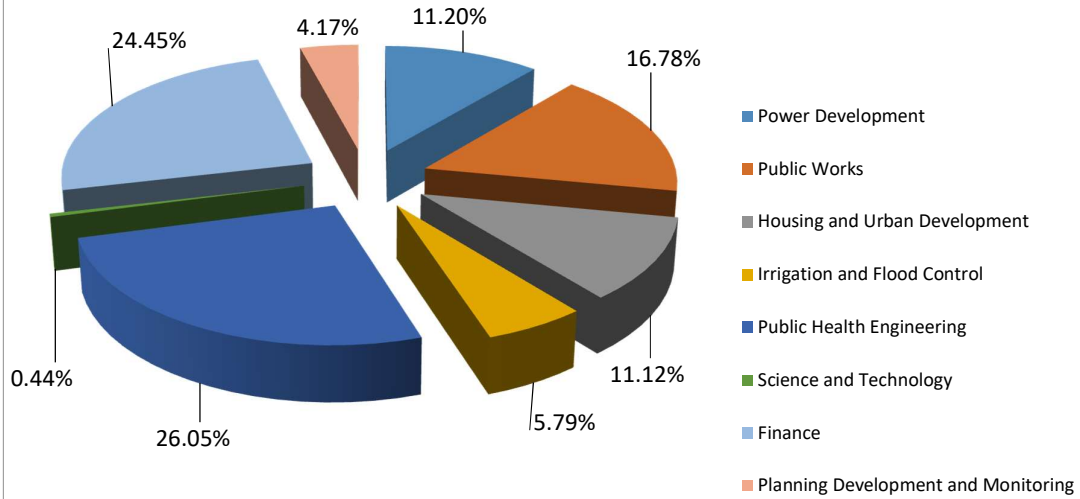


ग्राफ: 19



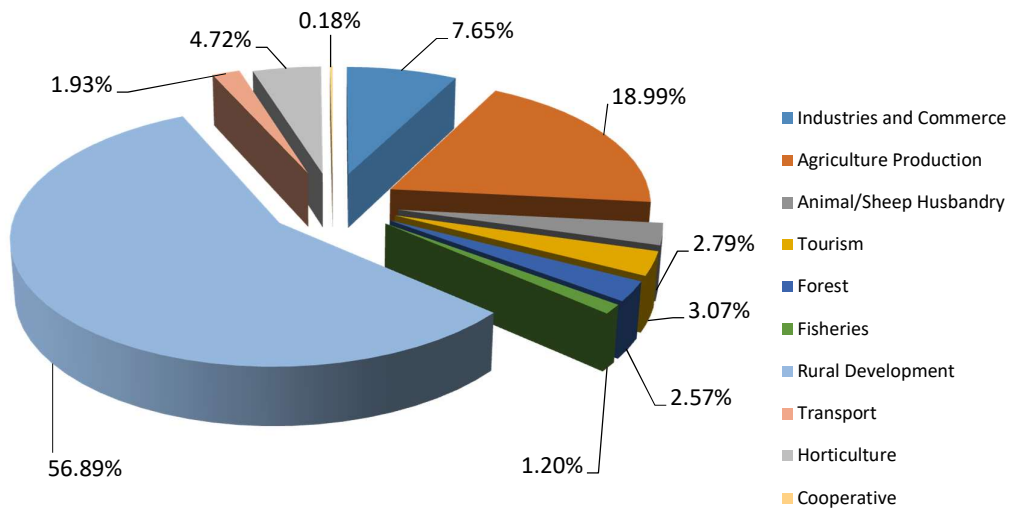
ग्राफ: 20

अवसंरचना सेक्टर (कुल पूंजी बजट 24363 करोड़ रुपये)



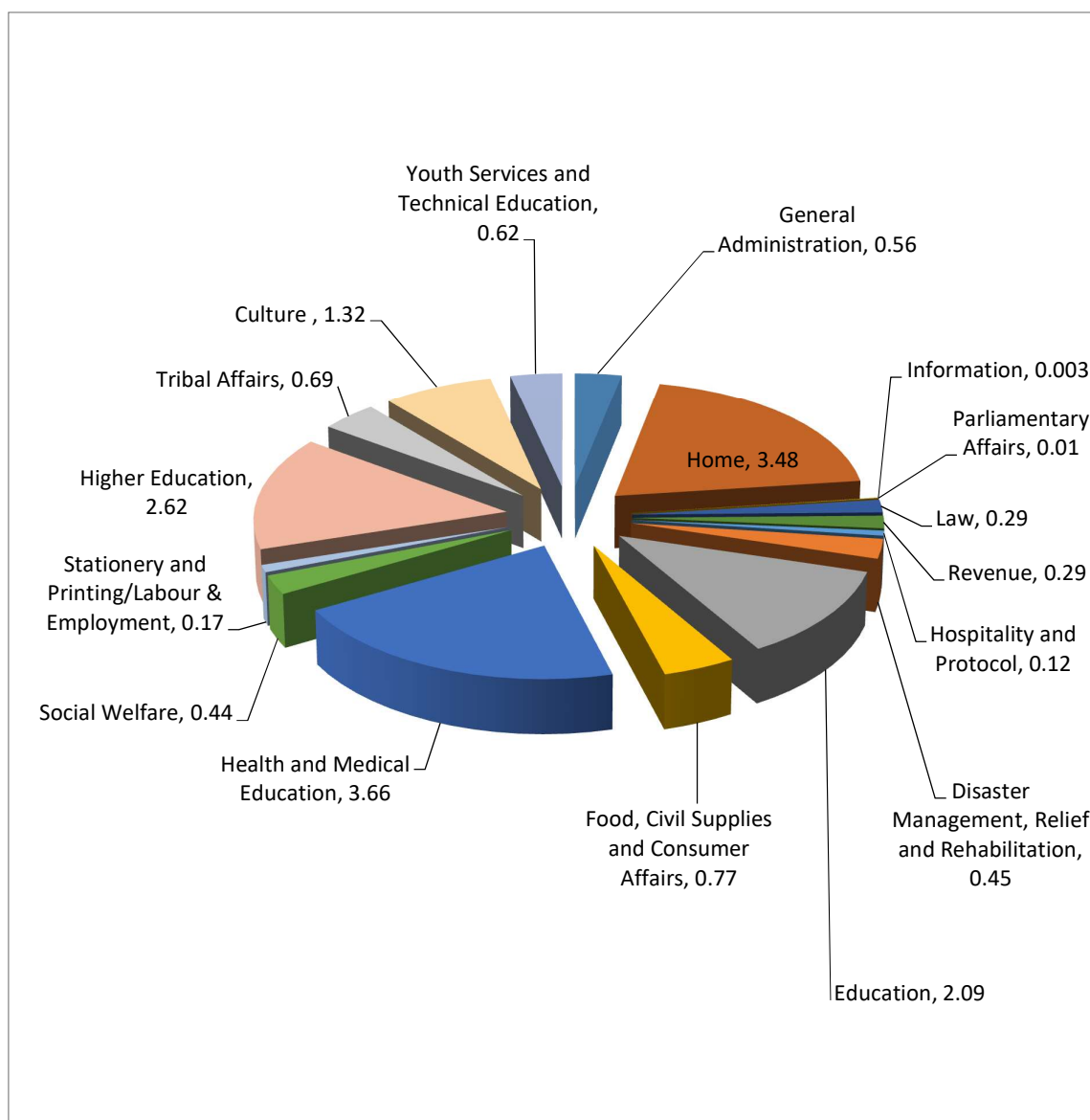
ग्राफ: 21

आर्थिक क्षेत्र (कुल पूंजी बजट 8467 करोड़ रुपये)



विभाग-वार समग्र राजस्व व्यय (%) प्रशासनिक और सामाजिक सेक्टर:

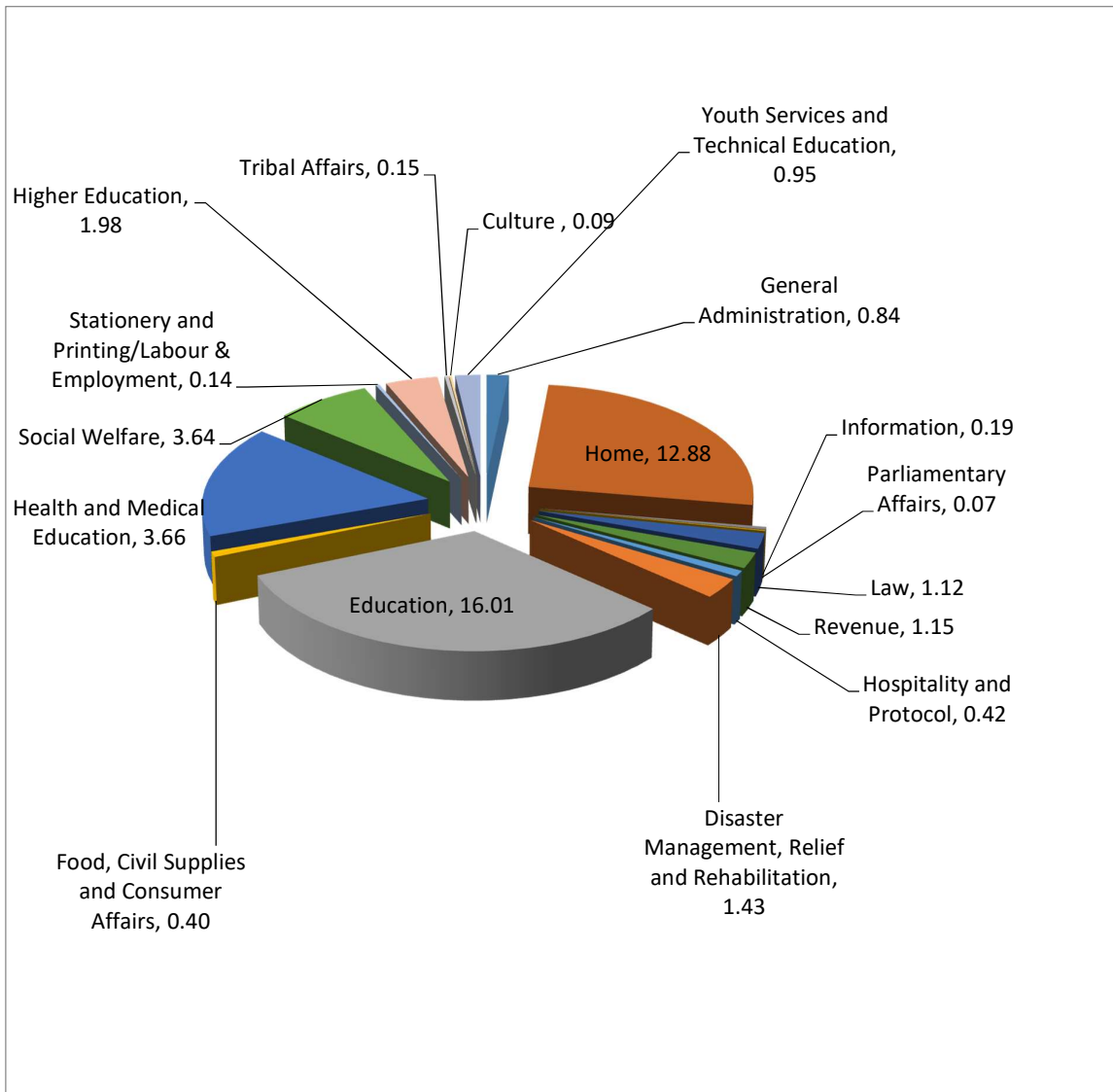
ग्राफ: 22



विभाग-वार समग्र राजस्व व्यय (%)

अवसंरचना और आर्थिक/वित्तीय सेक्टर:

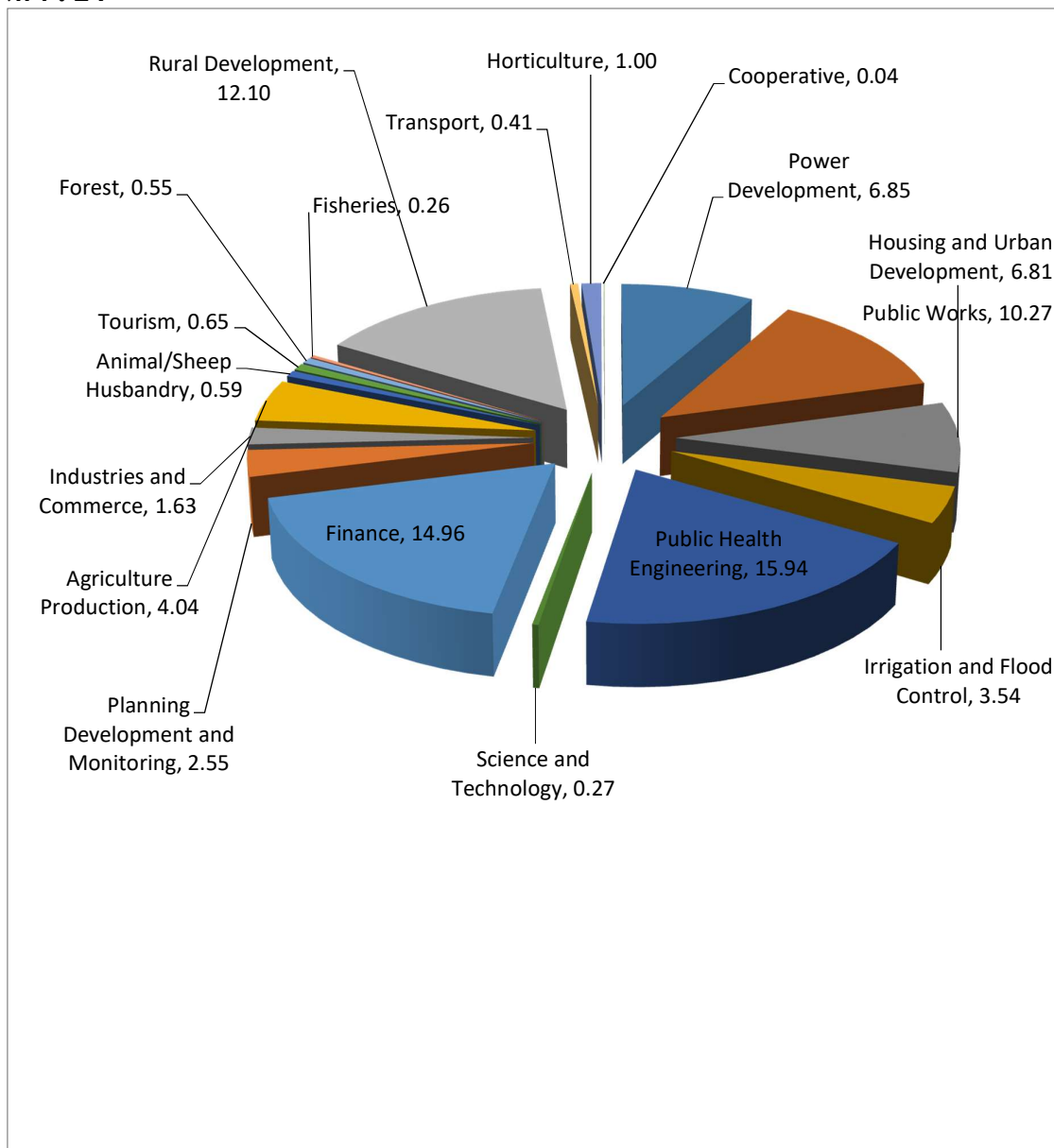
ग्राफ: 23



विभाग-वार समग्र पूंजी व्यय (%)

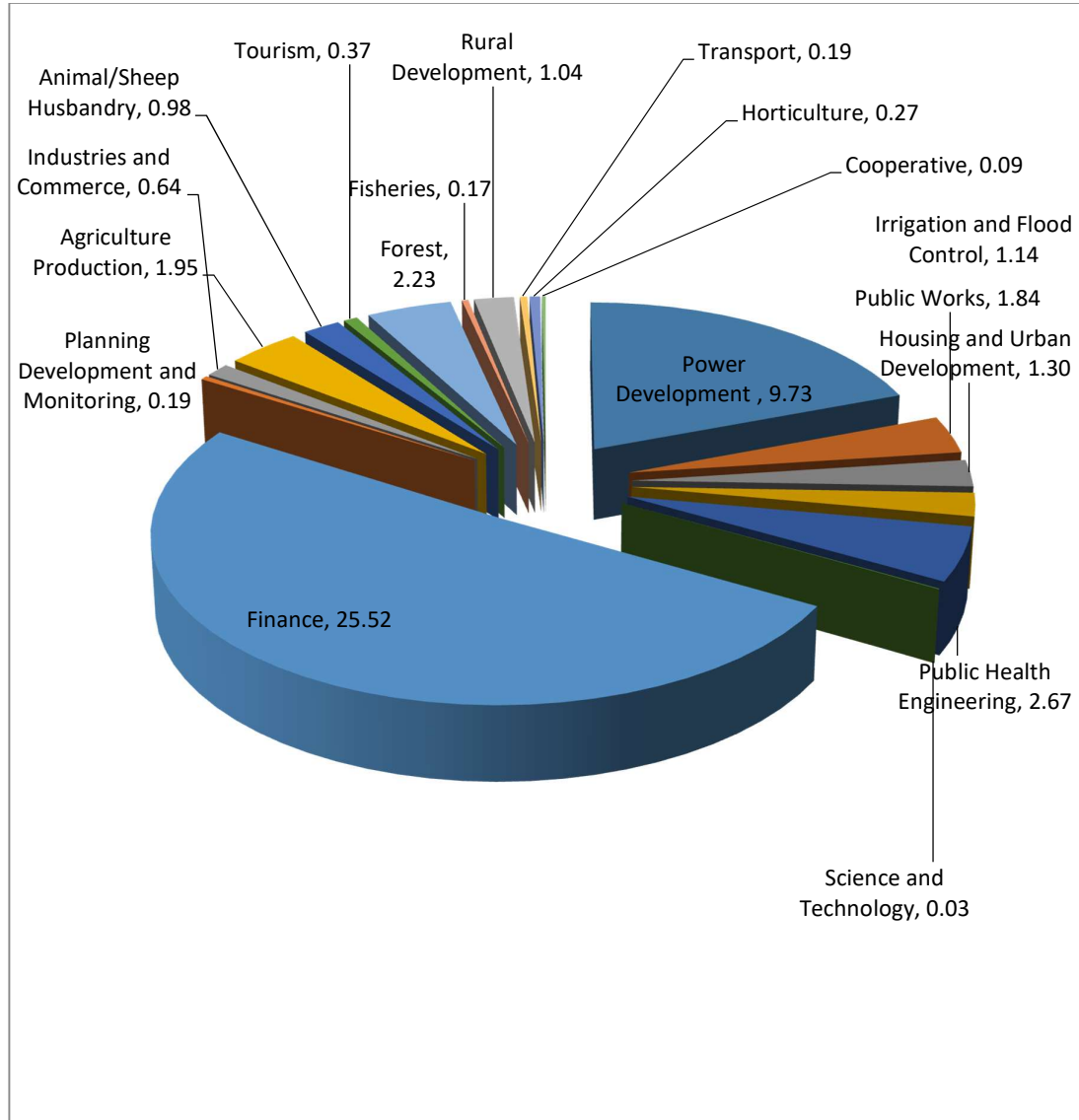
प्रशासनिक और सामाजिक सेक्टर:

ग्राफ: 24



विभाग-वार समग्र राजस्व व्यय (%) अवसंरचना और आर्थिक/वित्तीय सेक्टर:

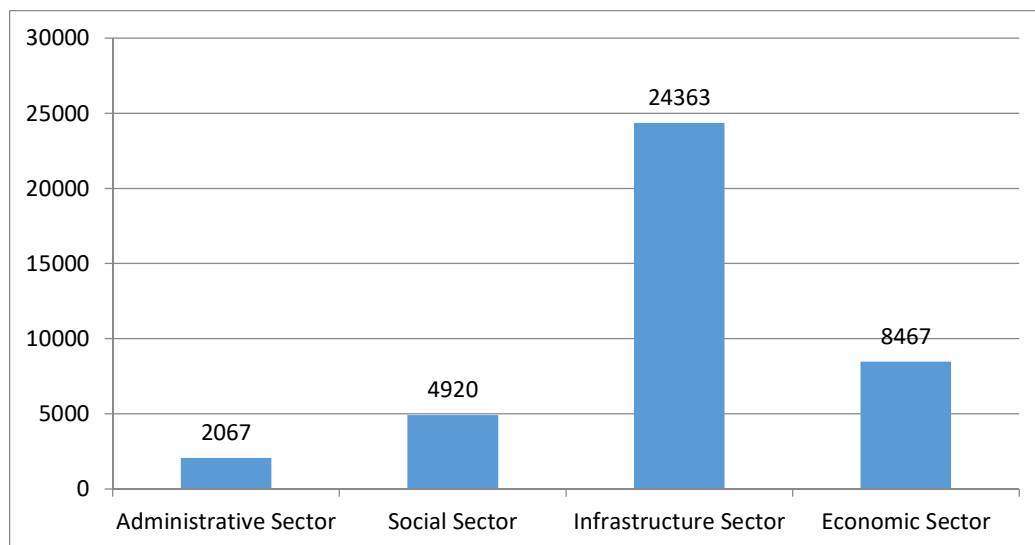
ग्राफ: 25



जीडीपी में सेक्टरल निवेश का योगदान

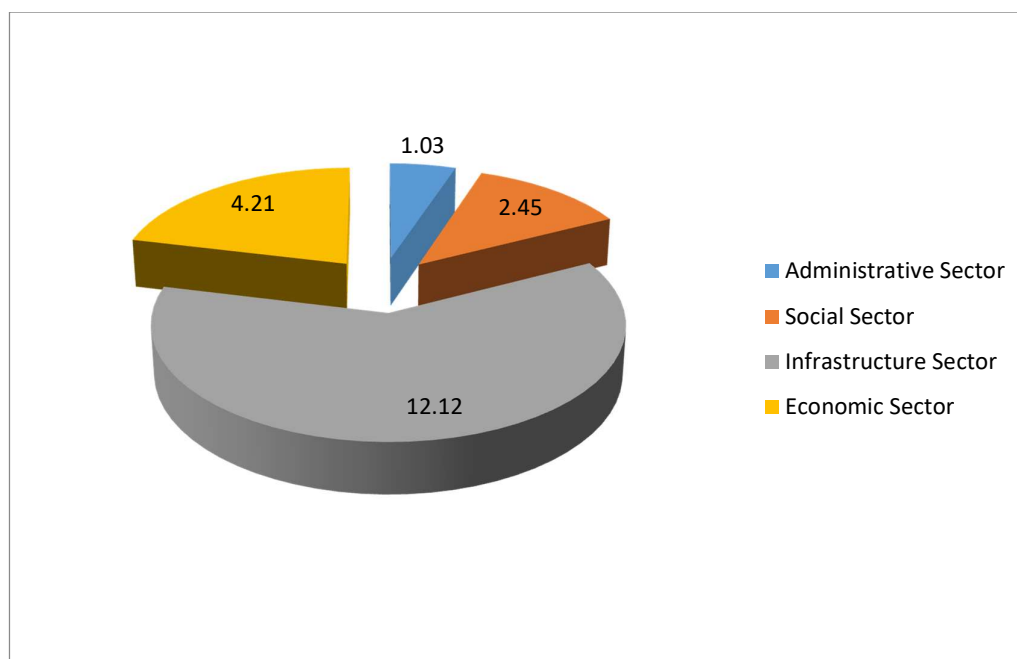
ग्राफ: 26

(करोड़ रुपए में)



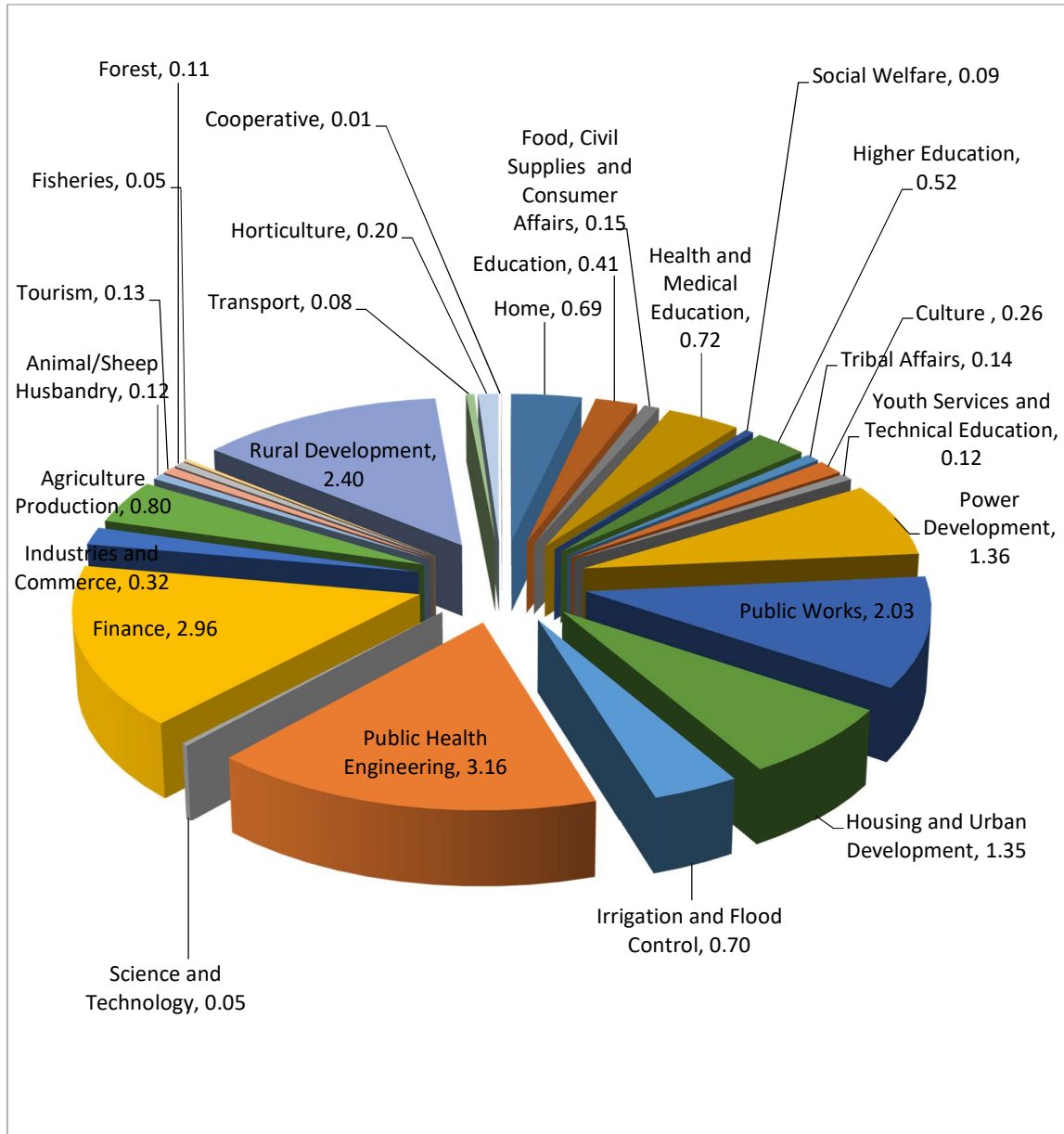
ग्राफ: 27

%



जीडीपी में विभाग-वार निवेश का प्रमुख योगदान

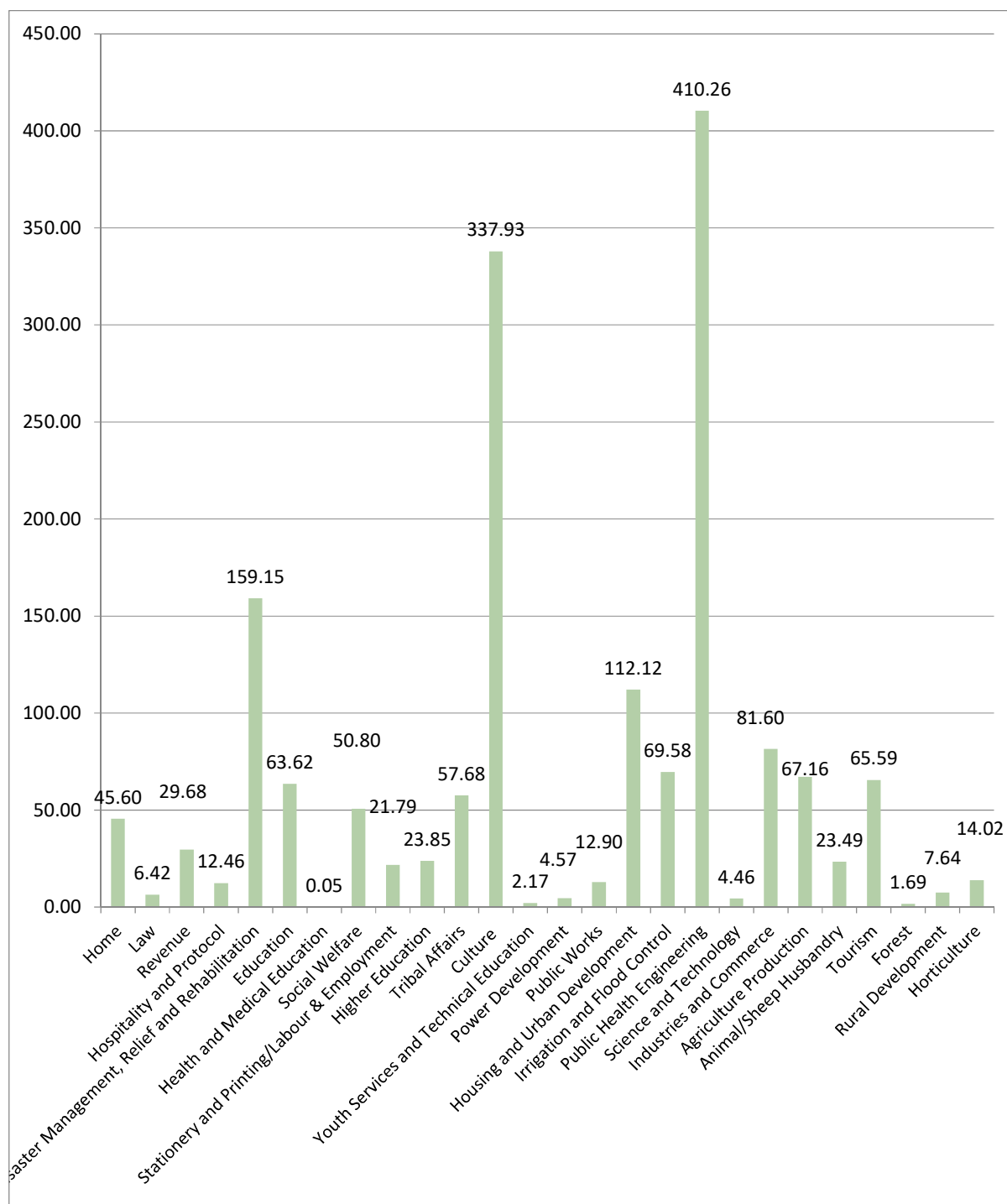
ग्राफ: 28



व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति : राजस्व और पूंजी (बजट अनुमान 2019-20 से बजट अनुमान 2020-21)

ग्राफ 29

%



तालिका 10: पिछले 11 वर्षों में ऋण की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	कुल लोक ऋण	बीमा और पेंशन निधि	भविष्य निधि	अन्य दायित्व*	कुल देयताएं	मौजूदा मूल्यों पर जीएसडीपी	जीएसडीपी की तुलना में कुल देयता का प्रतिशत
								आधार वर्ष 2004-05	
2009-10	15449	3144	18593	333	5113	4685	28724	48385	59
2010-11	**16535	2032	18567	358	6291	4756	29972	58073	52
								Base Year 2011-12	
2011-12	20789	1903	22692	384	8335	4845	36256	77945	47
2012-13	22796	1839	24635	454	9954	5205	40248	86537	47
2013-14	24715	1775	26490	505	11893	5758	44646	97400	46
2014-15	26525	1675	28200	602	14028	5484	48314	102681	47
2015-16	30452	1579	32031	671	16846	5798	55346	116102	48
2016-17	34018	1489	35507	775	18588	5803	60673	126230	48
2017-18	37418	1405	38823	909	20010	8462	68204	142292	48
2018-19	42222	1292	43514	974	25233	9340	79061	158688	50
2019-20	45465	1237	46702	1006	26156	9709	83573	179866	46

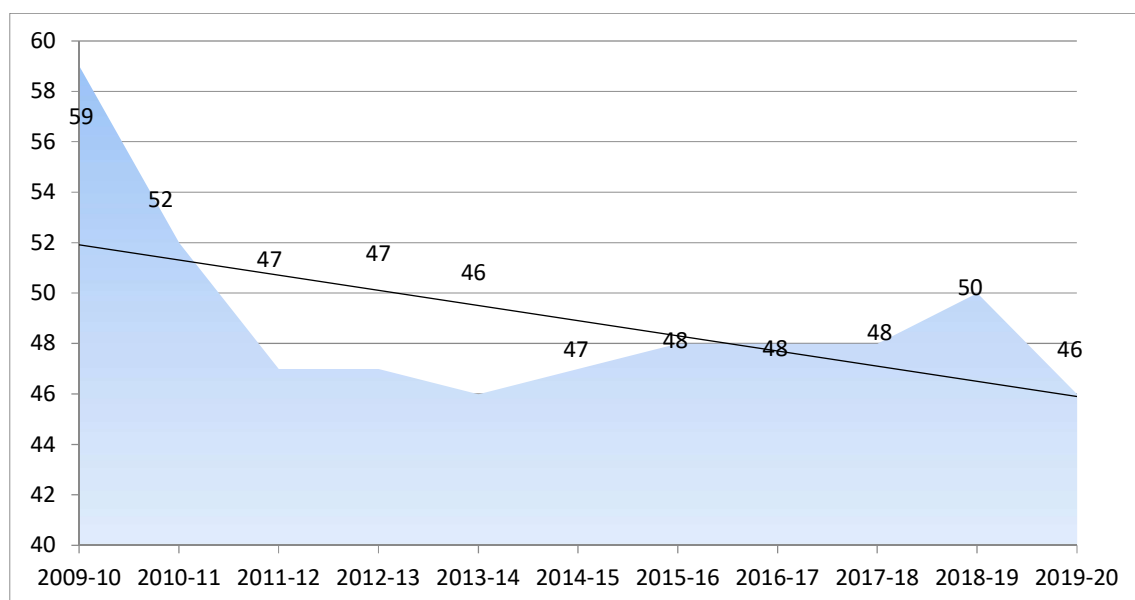
* स्थानीय निधियों की जमा राशि तथा अन्य निर्धारित निधि आदि जैसे ब्याज/ब्याज रहित दायित्व ।

** ओवर ड्राफ्ट की कमी के लिए 1300 करोड़ रुपए के एक - ऑफ डेब्ट को छोड़कर।

डीईबीटी/जीएसडीपी अनुपात

ग्राफ: 30

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण



बजट : विभिन्न घटक

बजट के तीन भाग हैं :

1. समेकित निधि
2. लोक लेखा
3. आकस्मिक निधि

समेकित निधि सभी 'सामान्य' बजट लेन-देनों के लिए श्रोत है, चाहे ये लेन-देन पूंजी, राजस्व अथवा ऋण की प्रकृति के हों। कर और कर-भिन्न राजस्व को समेकित निधि में दर्ज किया जाता है तथा समेकित निधि से वहन किए जाने वाला कोई व्यय विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। 'प्रभारित' प्रकृति के व्ययों को भी समेकित निधि से वहन किया जाता है।

समेकित निधि के भी दो भाग होते हैं :

- a) राजस्व लेखा ; और
- b) पूंजी लेखा।

राजस्व लेखे में वेतन, मजदूरी, रख-रखाव और मरम्मत, टेलीफोन व्यय, दिन-प्रतिदिन के कार्यालय से संबंधित व्यय तथा अन्य ऊपरी व्ययों जैसे रूटीन प्रशासन के संबंध में होने वाले व्यय शामिल होते हैं। परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित व्यय, जिनमें अधिकांश (किंतु सभी नहीं) योजनागत व्यय शामिल होता है, पूंजी लेखे में कवर होता है।

राजस्व प्राप्तियां वे समस्त आय होती हैं जिनको देयता की अदायगी पर वहन नहीं किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के संसाधनों के अतिरिक्त योजनाओं के वित्तपोषण तथा योजना-भिन्न अनुदानों के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल होते हैं।

पूंजी प्राप्तियों में आंतरिक ऋण, केंद्र से प्राप्त ऋण और निगमों, सहकारी समितियों आदि को अग्रिम रूप में दिए गए अपने स्वयं के ऋणों की वसूली शामिल होती है तथा इन्हें पूंजी लेखे में दर्ज किया जाता है। पूंजी लेखे के परिव्यय भाग में अपने स्वयं के निवेश परिव्यय और संवितरणों के सदृश्य व्यय होते हैं, जिनमें लोक ऋण की अदायगी तथा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल होते हैं। इस प्रकार समेकित निधि के पूंजी और ऋण दोनों भाग पूंजी बजट के अंतर्गत आते हैं।

लोक-लेखा में वे निधियां शामिल होती हैं जिनका सरकार से संबंध नहीं है किंतु जिन्हें यह अन्य संस्थाओं के लिए विश्वास के रूप में रखती है। इसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि, आरक्षित एवं मूल्यहास निधि, नगर निगमों से प्राप्त जमा, पेंशन निधि आदि शामिल होंगे। इसे सही रूप में ऐसी निधि कहा जा सकता है जिनके लिए यह बैंकर के रूप में कार्य करता है।

आकस्मिक निधि अपने नाम के अनुसार आकस्मिक प्रयोग के लिए निधि होती है। इसे बजट में सामान्यतः जराक्रांत राशियों और अन्य अप्रत्याशित आकस्मिक खर्चों के लिए शामिल किया जाता है। आकस्मिक निधि से व्यय मंत्रिमंडल की सहमति से ही किया जा सकता है और अतः इसमें यह फायदा है कि बजट प्रक्रिया तथा विधायी अनुमोदन से छूट मिल जाती है; तथापि इस प्रकार हुए व्यय के लिए बाद में विधानमंडल की मोहर लगवाना अनिवार्य होता है। आकस्मिक निधि की मौद्रिक सीमा में बजट प्रक्रिया के माध्यम से कुछ वर्षों बाद वृद्धि की जाती है।

परिभाषाएं :-

1. **राजस्व प्राप्तियां** वे सभी अदायगियां होती हैं जिनको देयता की अदायगी पर वहन नहीं किया जाता है। इनमें अपने स्वयं के राजस्व (कर और कर-भिन्न), केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र सरकार से सांवधिक और गैर सांवधिक अनुदान शामिल होते हैं। इनमें ब्याज तथा सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश भी शामिल होता है।
2. **राजस्व व्यय** में वेतन और मजदूरी, पेंशन, ब्याज के भुगतान, रख-रखाव और मरम्मत जैसे सभी रूटीन प्रकार के प्रशासनिक व्यय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें किराये के भुगतान, कर और अन्य स्थापना संबंधी व्यय जैसे ऊपरी खर्च भी शामिल होते हैं।
3. **पूंजी प्राप्ति** में बाजार से लिए गए ऋण, आरबीआई और अन्य संस्थाओं से ली गई उधार राशियां, एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्ति और अपने स्वयं के ऋणों की वसूली तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश से प्राप्त आय शामिल होती है।
4. **पूंजी व्यय** परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित होता है। यह भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी तथा अन्य सभी भौतिक अवसंरचना जैसी स्थाई परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण पर निवेश परिव्यय के सुदृश होता है। ऐसे संवितरणों, जिनमें लोक ऋण तथा विभिन्न

संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम की अदायगी शामिल होती है, को भी पूंजी व्यय के रूप में लिया जाता है।

5. **विविध पूंजी** प्राप्तियों को गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों के रूप में माना जाता है।
6. **प्राथमिक घाटा** वह राजकोषीय घाटा होता है जो राजस्व घटक के अंतर्गत ब्याज के भुगतान तथा ऋण की अदायगी का निवल होता है।
7. **राजस्व घाटा**, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है।
8. **बजट घाटा** कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है तथा मौद्रिकीकरण की अनुपस्थिति में इसे जीरो होना होता है। मोनेटाइजेशन रूट तक सरकार की कोई पहुंच नहीं होती है। इनके मामले में बजट घाटा जीरो होना चाहिए।
9. **राजकोषीय घाटा**, कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिमों तथा अन्य गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वसूली के बीच का अंतर होता है।
10. **वित्त विधेयक** में नए कर लगाने, मौजूदा कर ढांचे में आशोधन अथवा मौजूदा कर ढांचे को विधान मण्डल द्वारा अनुमोदित अवधि के बाद जारी रखे जाने के संबंध में सरकार के प्रस्ताव शामिल होते हैं।